न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री मारिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्याः— 53 / 2022

प्रार्थीया

1. समदुदेवी धर्मपत्नि जवरीलाल खटीक निवासी कुम्हारों का बास, बिलाड़िया दरवाजा के अन्दर, सोजत सिटी तह0 सोजत जिला पाली राज0।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. गोमाराम पुत्र प्रतापराम मेघवाल निवासी रेपड़ावास तह0 सोजत जिला पाली राज0।
2. सुआ पत्नि बादरराम
3. प्रेमदेवी
4. रमेशदेवी
5. समदूदेवी पुत्रीयान बादरराम
6. शांतिलाल पुत्र बादरराम जातिगण बावरी निवासीगण बेरा कुम्हारिया चौकीदारों का, सोजत सिटी तह0 सोजत जिला पाली राज0।
7. इन्द्रादेवी पत्नि सुरेश
8. कंचन पत्नि किशनलाल जातिगण हरिजन निवासीगण जैतारणिया दरवाजा के बाहर, सोजत सिटी तह0 सोजत जिला पाली राज0।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955

उपस्थितिः—

01. श्री आनन्दीलाल भाटी अधिवक्ता प्रार्थीया उपस्थित।
02. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 01 उपस्थित।

उप खण्ड अधिकारी सोजत जिला-पाली (राज.)

—: निर्णय :— दिनांक :— 26/03/2025

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम तहसील सोजत में खसरा नबंर 361 रकबा 0.8700 हैक्टर किस्म जाव सोयम व बंजड़ की कृषि भूमि स्थित है। जिसमें प्रार्थीनी व अप्रार्थीगण का सम्वत् 2074—2077 की राजस्व जमाबंदी के रेकर्ड अनुसार संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज है। प्रार्थीनी के प्रिन्सिपल विक्रेता व अप्रार्थीगण के प्रिन्सिपल विक्रेता के समय से ही वादस्थ कृषि भूमि का प्रार्थीनी एवं अप्रार्थीगण के बीच मौखिक बंटवाड़ा हो रखा था, जिसके अनुसार प्रार्थीनी एवं अप्रार्थीगण कदीम से कब्जा काश्त चले आ रहे है, मौखिक बंटवाड़ा अनुसार मौके पर प्रार्थीनी के हिस्से मे आई कृषि भूमि के तारबंदी की हुई है। प्रार्थीनी एवं उसके प्रिन्सिपल विक्रेताओं ने अपने हिस्से की आई कृषि भूमि को उपजाउ करने के लिए कृषि भूमि में निदान पाली, घोरा, खाद, खड़ाई व तारबंदी वगैरह करने में काफी रूपये अपने खून पसीने की कमाई के लगाये, क्योंकि नेशनल हाईवे नबंर 58 वादस्थ कृषि भूमि के आगे निर्माणाधीन होने के कारण अप्रार्थीगण की नियत खराब हो गई है, जो प्रार्थीनी के हिस्से की कृषि भूमि को हड़पना चाहते है और ऐन केन किसी भी तरीके से प्रार्थीनी को हैरान, परेशान करके वादस्थ कृषि भूमि से प्रार्थीनी को बेदखल कर भूमिहीन कर प्रार्थीनी के हिस्से की कृषि भूमि को भी जोर जबरदस्ती से मजबूर कर हतियाना चाहते है। प्रार्थीनी एक महिला है, प्रार्थीनी के परिवार में आजीविका का इस कृषि भूमि के अलावा और कोई जीविकोपार्जन का साधन नहीं है। इसलिए अप्रार्थीगण द्वारा दखल अन्दाजी करने का कोई अधिकार नहीं है। दिनांक 08 / 03 / 2022 को प्रार्थीनी ने अपने हिस्से की वादस्थ कृषि भूमि को संभालने गई तो मौके पर अप्रार्थीगण संख्या 1 गोमाराम ने रोका और एलानिया कहा कि आयन्दा इधर आये तो हाथ पांव तोड़ देंगे, और मौके पर मजमा किया, अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीनी को रोकने का कोई अधिकार नहीं है। अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 8 संयुक्त खातेदार होने के कारण अप्रार्थीगण पक्षकार बनाया गया। अप्रार्थीगण को वादस्थ कृषि भूमि के प्रार्थीनी के उपयोग उपभोग में बाधा पहुंचाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं हैं। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीनी के पक्ष में है, सहूलियत का पलड़ा भी प्रार्थीनी के पक्ष में है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीनी के हिस्से की कृषि भूमि के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा, अड़चन तथा अवरोध उत्पन्न करेंगे तो प्रार्थीनी को अपूर्णिय क्षति होगी, जिसका मूल्याकंन किया जाना असम्भव होगा, इसके साथ ही प्रार्थीनी के हिस्से की कृषि भूमि के उपयोग उपभोग करने से अप्रार्थीगण द्वारा बाधा, अवरोध अथवा व्यवधान पैदा किया जाएगा तो प्रार्थीनी अपने खातेदारी, हक हकूकों से

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

महरूम हो जाएगी तथा प्रार्थीनी के जीविको पार्जन का साधन समाप्त हो जाएगा तथा भूखे मरने की नौबत आ जाएगी, इसलिए अप्रार्थीगण के विरूद्ध जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पावंद किये जाने हेतु धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियत का मूल वाद प्रस्तुत कर दिया गया है लेकिन त्वरित कार्यवाई हेतु अप्रार्थीगण को पावन्द करने के लिए उन्हे जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीनी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीनी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की सादिर फरमाई जावें कि ताफैसला मूल वाद सरहद मौजा सोजत चक प्रथम के खसरा नबंर 361 रकबा 0.8700 हैक्टर की कृषि भूमि में प्रार्थीनी का हिस्सा तारबंदीसुदा है जो प्रार्थीनी के कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग में अप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखल अन्दाजी, बाधा, अवरोध, व्यवधान पैदा न तो स्वयं करे, न ही किसी एजेन्ट, नौकर, इत्यादि से करावे।

इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 01 की ओर से जवाब प्रा0पत्र पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा सोजत चक 1 के खसरा संख्या 361 रकबा 0.8700 हैक्टर कृषि भूमि प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज होना बताया है जो गलत एवं झूठ है राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2074–2077 के अनुसार, खसरा संख्या 361 में अप्रार्थी संख्या 2 से 8 के नाम की खातेदारी दर्ज सुदा नहीं है, खसरा संख्या 361 में अप्रार्थी संख्या 1 का 1/3 हिस्से का 9/13 हिस्सा यानि सम्पूर्ण आराजी में 9/39 हक हिस्सा खातेदारी कब्जा काश्त का हैं, तथा अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा दिनांक 20/11/2012 को जरिये बेचान रजिस्ट्री खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था, जिस कब्जा सुदा भूमि के चारों तरफ अप्रार्थी संख्या 1 ने तारबन्दी करवाई हैं खसरा संख्या 361 की उक्त सुपुर्द की गई भूमि खसरा संख्या 362 की माठ के सहारे सहारे सम्पूर्ण लम्बाई में आई हुई स्थित हैं तथा उक्त कृषि भूमि को खरीद करने के बाद उसमें अप्रार्थी संख्या 1 ने मिट्टी डलवाकर उपजाउ तथा लाखों रूपयें खर्च कर समतल करवाया है। जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 शान्तिपूर्वक तरीके से बिना किसी रोक–टोक काबिज काश्त चला आ रहा हैं। वादीया ने अप्रार्थीगण को सहखातेदार होना बताया है जबकि अप्रार्थी संख्या 2 से 8 कतई सहखातेदार नहीं है। प्रार्थीया एंव अप्रार्थी संख्या 1 का राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज अवश्य है जिससे प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 1 सहखातेदार हुए तथा एक सहखातेदार दुसरे सहखातेदार के विरूद्ध कतई स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी ने वादस्थ कृषि भूमि का मौके पर मौखिक बंटवाड़ा होने का कथन किया है लेकिन प्रार्थीया का वाद बंटवाड़े का कतई नहीं है, प्रार्थी साफ हाथों से न्यायालय में नहीं आई है, प्रार्थीया ने अपने हिस्से की कृषि भूमि के चारों तरफ तारबन्दी करने के कथन किये है जो सरासर गलत एवं झूठ है, तारबन्दी की हुई कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 की कब्जासुदा स्थित है जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा काश्त की जा रही हैं। प्रार्थीया ने वादस्थ कृषि भूमि का मौके पर मौखिक बंटवाड़ा होने के कथन किये है लेकिन प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र के साथ ऐसा कोई नक्शा पेश नहीं किया है न ही प्रार्थीया ने वाद बाबत बंटवाड़ा का पेश किया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में कही पर भी वादस्थ कृषि भूमि में अपना हिस्सा होना दर्शित नहीं किया है। प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र में कहीं पर भी विशिष्ट भू–भाग पर कब्जा होने तथा उस पर धोरा पाली करने व तारबन्दी करने बाबत नहीं लिखा हैं न ही प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र के साथ कोई नक्शा पेश किया है। प्रार्थीया ने कौनसे हिस्से की भूमि को उपजाउ बनाया है नहीं बताया है, प्रार्थीया का यह लिखना कतई गलत है कि अप्रार्थी संख्या 1 की नियत खराब हो गई है जबकि अप्रार्थी संख्या 1 की कब्जासुदा खरीदसुदा मालिकाना हक की कृषि भूमि से बेदखल करने के आशय से झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया गया हैं प्रार्थीया अप्रार्थी संख्या 1 को दिनांक 08/03/2022 को मिली ही नहीं तो अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा हाथ–पांव तोडने की एलानिया धमकियां देने के कथन गलत एंव झूठ हैं, प्रार्थी स्वंय ने अप्रार्थी संख्या 1 को सहखातेदार होना स्वीकार किया है ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध कतई स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारीणी नहीं हैं। प्रार्थीया स्वंय सहखातेदार है ऐसी स्थिति में प्रार्थीया को अपूर्णिय क्षति होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता हैं। यदि अप्रार्थी संख्या 1 को स्थाई निषेधाज्ञा के जरिये पाबंद किया जाता है तो प्रार्थीया की बजाय अप्रार्थी संख्या 1 अपने बंट व हिस्से की कृषि भूमि से मेहरूम हो जायेगा एंव अप्रार्थी संख्या 1 उक्त कृषि भूमि पर काश्त नहीं कर पायेगा, ऐसी स्थिति में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र व प्रार्थना पत्र काबिले खारिज के हैं। प्रार्थीया स्वयं सहखातेदार होना स्वीकार कर रही हैं ऐसी स्थिति में प्रार्थीया कतई सहखातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारीणी नहीं है। प्रथम दृष्टया मामला एंव सहुलियत का पलडा प्रार्थीया के पक्ष में कतई नहीं हैं, अप्रार्थी संख्या 1 अपने कब्जासुदा मालिकाना हक की कृषि भूमि पर बतौर खातेदार काबिज काश्त चला आ रहा है यदि अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिये अप्रार्थी संख्या 1 को पाबंन्द किया जाता है तो प्रार्थीया की बजाय अप्रार्थी संख्या 1 को अपूर्णिय क्षति होगी जिसका मुल्याकंन कदापि रूपयों में नहीं आंका जा सकेगा। ऐसी स्थिति में

उपखण्ड अधिकारी,

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र काबिले खारिज के हैं। इस पर अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 01 ने जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र पेश कर प्रार्थीया का वाद सव्यय खारिज फरमाया जाने की ईश्तदुआ की है। अप्रार्थी सं0 02 से 08 बावजूद सूचना/तामिली अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

बहस वकूलाय सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने व्यक्त किया कि प्रार्थीनी के प्रिन्सिपल विक्रेता व अप्रार्थीगण के प्रिन्सिपल विक्रेता के समय से ही वादस्थ कृषि भूमि का प्रार्थीनी एवं अप्रार्थीगण के बीच मौखिक बंटवाड़ा हो रखा था, जिसके अनुसार प्रार्थीनी एवं अप्रार्थीगण कदीम से कब्जा काश्त चले आ रहे है, जिसमें प्रार्थीनी के हिस्से में आई कृषि भूमि के तारबंदी की हुई है। प्रार्थीनी एवं उसके प्रिन्सिपल विक्रेताओं ने अपने हिस्से की आई कृषि भूमि को उपजाउ करने के लिए कृषि भूमि में निदान पाली, घोरा, खाद, खड़ाई व तारबंदी वगैरह करने में काफी रूपये अपने खून पसीने की कमाई के लगाये, क्योंकि नेशनल हाईवे नबंर 58 वादस्थ कृषि भूमि के आगे निर्माणाधीन होने के कारण अप्रार्थीगण की नियत खराब हो गई है, जो प्रार्थीनी के हिस्से की कृषि भूमि को हड़पना चाहते है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति तीनों बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में होने से प्रार्थीया का प्रा0पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 01 ने व्यक्त किया कि प्रार्थीया द्वारा गलत एवं झूटे तथ्यों के साथ उक्त प्रा0पत्र पेश किया है। उक्त वादस्थ कृषि भूमि को अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा दिनांक 20/11/2012 को जरिये बेचान रजिस्ट्री खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था, जिस कब्जा सुदा भूमि के चारों तरफ अप्रार्थी संख्या 1 ने तारबन्दी करवाई हैं तथा मिट्टी डलवाकर उपजाउ तथा लाखों रूपयें खर्च कर समतल करवाया है। जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 शान्तिपूर्वक तरीके से बिना किसी रोक–टोक काबिज काश्त चला आ रहा हैं। वादीया ने अप्रार्थीगण को सहखातेदार होना बताया है जबकि अप्रार्थी संख्या 2 से 8 कतई सहखातेदार नहीं है। प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 1 का राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज अवश्य है जिससे प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 1 सहखातेदार हुए तथा एक सहखातेदार दुसरे सहखातेदार के विरूद्ध कतई स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रथम दृष्टया मामला एवं सहुलियत का पलडा प्रार्थीया के पक्ष में कतई नहीं हैं, अप्रार्थी संख्या 1 अपने कब्जासुदा मालिकाना हक की कृषि भूमि पर बतौर खातेदार काबिज काश्त चला आ रहा है यदि अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिये अप्रार्थी संख्या 1 को पाबंन्द किया जाता है तो प्रार्थीया की बजाय अप्रार्थी संख्या 1 को अपूर्णिय क्षति होगी जिसका मुल्याकंन कदापि रूपयों में नहीं आंका जा सकेगा। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र काबिले खारिज के हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र फहरिस्त मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादस्थ भूमि में अप्रार्थी सं0 01 रेकर्डेड खातेदार है। यघपि पक्षकारों के हक अधिकारों को मूल वाद में जवाब दावा रेकर्ड पर लेकर, तनकियात कायम कर साक्ष्य/ सबूतो के आधार पर गुणावगुण पर तय किया जायेगा। वर्तमान परिपेक्ष्य में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में सिद्ध नहीं होकर अप्रार्थी सं0 01 के पक्ष में सिद्ध होता है। वादस्थ भूमि पर प्रार्थीया का कब्जा है इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये गये है जिससे सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थी सं0 01 के पक्ष में सिद्ध होती है। लिहाजा वर्तमान परिपेक्ष्य में हस्तगत प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता प्रार्थीया मय प्रार्थीया का उक्त प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 26/03/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत